न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **महेश चन्द्र चौधरी**

सदस्य

प्रकरण क्रमांक दो/निगरानी/सतना/भू.रा./2017/6018 विरूद्ध आदेश दिनांक 28-11-2017 पारित द्वारा अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा प्रकरण क्रमांक 179/अपील/2017-18

दिनेश प्रसाद तिवारी पिता स्व. कधईराम तिवारी
निवासी - ग्राम बाबूपुर तह. उचेहरा जिला सतना (म.प्र.) .....**आवदेक**

विरूद्ध

राजेन्द्र प्रसाद तिवारी पिता भइया लाल तिवारी
निवासी - ग्राम बाबूपुर तह. उचेहरा जिला सतना (म.प्र.) .....**अनावेदक**

श्री पी.के.तिवारी, अभिभाषक, आवेदक

श्री व्ही.के.शुक्ला, अभिभाषक, अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 29. 6. 19 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा द्वारा पारित दिनांक 28-11-2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि आवेदक द्वारा तहसील न्यायालय के समक्ष इस आशय का आवेदन प्रस्तुत किया गया था कि ग्राम बाबूपुर की आराजी नंबर 542/1 रकबा 0.026 हे. के अंशभाग पूर्व दशा में 50*30 वर्गफिट में अनावेदक द्वारा आवेदक की भूमि पर अवैध रूप से निर्माण कार्य करने की फिराक में है जबकि आवेदक उक्त आराजी का तन्हा स्वामित्वधिकारी है। आवेदक द्वारा तहसील न्यायालय में

अनावेदक द्वारा किये जा रहे अवैध निर्माण कार्य को रोके जाने का आवेदन प्रस्तुत किया गया । तहसीलदार द्वारा दिनांक 22-04-2017 को आदेश पारित कर आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन खारिज किया गया । तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी अनुभाग उचेंहरा के समक्ष प्रस्तुत की गई । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 10-11-2017 को आदेश पारित कर तहसीलदार का आदेश स्थिर रखते हुए आवेदक द्वारा प्रस्तुत अपील को निरस्त किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा द्वितीय अपील अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के समक्ष प्रस्तुत की गई । अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 21-11-2017 को प्रकरण में ग्राह्यता के बिन्दू पर सुनकर प्रकरण को आगामी सुनवाई हेतु ग्राह्य किया गया । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि निगरानीकर्ता आराजी नंबर-542/1 रकवा 0.026 हे., मौजा बाबूपुर का अभिलिखित भूमि स्वामी है और निगरानीकर्ता ने अपने भूमि स्वामित्वकी आराजियात के संबंध में धारा-129 म.प्र. कानून माल के मुताबिक सीमांकन की कार्यवाही का विधि सम्यक रूप से संम्प्रादित कराया था तथा सीमांकन कार्यवाही में धारा-129 उपधारा-2 म.प्र. कानूनी माल के मुताबिक सूचना में हस्ताक्षर गैरनिकरानीकर्ता ने विधिवत रूप से किया था और सीमांकन कार्यवाही के समय मौजूद रहा और विधिवत अपने हस्ताक्षर स्थल पंचनामा में किया था, संयुक्त प्रतिवेदन एवं सीमांकन कार्यवाही में यह तथ्य प्रमाणित पाया गया था, कि आवेदित आराजी के उत्तरी भाग ए.सी.ई. क्षेत्र पर 0.07 जरीब पूर्व पश्चिम चौहद्दी के त्रिभुजाकार क्षेत्र में गैरनिकरानीकर्ता द्वारा अपील की आराजी में अवैध कब्जा करने के कारण दबता रकवा पाया गया और दिनांक 10-04-2017 को सीमांकन परिपुष्टि किया गया था, जिसे कही चुनौती नही दी गयी और सीमांकन का उक्त आदेश अंतिम हो गया है और गैरनिकरानीकर्ता धारा-115 भारतीय साक्ष्य विधान अधिनियम के मुताबिक स्टपिल के सिद्धान्त से बिवंधित है, लेकिन माननीय नायब तहसीलदार महोदय के न्यायालय द्वारा महत्वपूर्ण सामग्री का अवलोकन न कर जो आदेश पारित किया था और

अनुविभागीय अधिकारी महोदय उक्त तथ्यों को कतई ध्यान नहीं दिया और अपील निरस्त कर आलोच्य आदेश पारित किया गया है तथा अपर आयुक्त महोदय द्वारा स्थगन बिन्दु पर विचार नहीं किया गया बिना बिचार किये स्थगन आवेदन निरस्त कर दिया गया जो विधि एवं मंशा के विपरीत है। उनके द्वारा यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया कि माननीय अनुविभागीय अधिकारी महोदय उचेहरा द्वारा अपील के समय अपने पत्र क्रमांक-77/ प्रवाचक/ अटका/2017 आदेश दिनांक 24-06-2017 के तहत् विवादित आराजी का वर्तमान समय की स्थित वादस्थल का निरीक्षण राजस्व निरीक्षक वृत्त लगरगवां द्वारा मगवाया गया था। जिसमें राजस्व निरीक्षक मण्डल लगरगवां, तहसील-उचेहरा द्वारा आशिक नजरी नक्शा मौजा बाबूपुर का दिनांक 25-07-2017 प्रस्तुत किया गया जिसमें लेख किया गया कि अनावेदक गैरनिकरानीकर्ता द्वारा निगरानीकर्ता के आराजी नंबर-541/1 अंश भाग को दबा रहे है जिससे स्पष्ट होता है कि अनुविभागीय अधिकारी महोदय द्वारा उक्तप्रतिवेदन का अवलोकन नहीं किया गया और अपर आयुक्त महोदय द्वारा उक्त प्रतिवेदन को कतई घ्यान ही नहीं दिया गया और निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत स्थगन आवेदन-पत्र निरस्त कर दिया गया है जो विघि-विरूद्ध आलोच्य आदेश पारित किया गया जो निरस्त किये जाने योग्य है। यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया कि निगरानीकर्ता के पिता और गैरनिकरानीकर्ता के पिता दोनो रिश्ते में भाई थे, दोनों भाइयों के मध्य आपसी बटवारा हुआ था ओर फिर बटवारें की फर्द तैयार दिनांक 29-01-1984 को तैयार की गयी थी, पर्द लेख 3 वर्ष पुराना दस्तावेज है, भारतीय साक्ष्य बिधीनअधिनियम की धारा-90 के मुताबिक ऐसे दस्तावेजको सही मानने की उपधारणा की जाती है, लेकिन अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा कानूनी प्रक्रिया की समझा ही नहीं, और कानून में वर्णित प्रावधानों को नजर अंदाज कर विधि के विपरीत आदेश परित किया है, इस कारण अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। अंत में यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनुविभागीय अधिकारी महोदय द्वारा अपने आदेश में यह उल्लेख किया है कि नायब तहसीलदार वृत्त-अटरा के प्रतिवेदन में यह स्पष्ट उल्लेख है कि ग्राम-बाबूपुर की आराजी नंबर-542/1 जो निगरानीकर्ता आवेदक की निजी भूमिस्वामी है के पूर्व भुजा पर 0.07 जरीब चौडाई, (पूर्व-पश्चिम्) 1.40 जरीब (तत्तर-

दक्षिण) लंबाई के त्रिभुजाकार क्षेत्र पर अनावेदक गैरनिकरानीकर्ता राजेन्द्र तिवारी द्वारा निर्माणाधीन मकान के दो पिलर नीव व कच्चा मकान का आंशिक भाग पर निर्माण कार्य किया जा रहा है, जो दबता रकवा मौके पर मिलान होता है। फिर बाद में लेख करते है कि दोनों उभयपक्षों के बीच स्वत्व का विवाद है जिससे अपील निरस्त की जाती है, जबकि उक्त आराजी पूर्णत: निगरानीकर्ता की है। गैरनिकरानीकर्ता का कोई हक हिस्सा वहॉ पर मौजूद नहीं है लेकिन उक्त आलोच्य आदेश को अपर आयुक्त महोदय द्वारा बिना मनन किये निगरानी कर्ता द्वारा प्रस्तुत स्थगन आवेदन-पत्र निरस्त कर महान भूल की है जिस कारण निगरानी स्वीकार कर किया जाना न्यायहित में उचित होगा।

4/ अनावेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की जा रही कार्यवाही को उचित बताते हुए यह निगरानी निरस्त किए जाने का निवेदन किया गया है।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख को देखने से स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 21.11.2017 को प्रकरण ग्राह्य किया जाकर अभिलेख आने के पश्चात स्थगन के बिन्दु पर विचार करने का आदेश पारित किया गया। तथा प्रकरण में आगामी पेशी दिनांक 19.02.2018 नियत की गई। प्रकरण को देखने से यह भी स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की जा रही कार्यवाही उचित है, जिसमें हस्तक्षेप किए जाने का कोई आधार नहीं है। चूंकि प्रकरण का निराकरण गुण-दोषों पर अभी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष होना है, जहां आवेदक को अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर उपलब्ध है।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी निरस्त की जाती है।

(महेश चन्द्र चौधरी)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर